**संख्या-03/2026/204/58-2-2026-1728935**

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्ड्ेय,
संयुक्त् सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग** **लखनऊः दिनांक 18-03-2026**

**विषय :- वित्तीय 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक-4415-80-800-04-03-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर योजना में रू0-385.09 लाख अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-154/बजट/2025-26, दिनांक-25.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक-4415-80-800-04-03-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-385.11 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-385.09 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चासी लाख नौ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीरकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्तर नियंत्रक खाद्य प्रसंस्क्रण विभाग का होगा।

(2) निदेशक खाद्य प्रसंस्करण विभाग स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(3) निदेशक खाद्य प्रसंस्कोरण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्कररण विभाग का होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक खाद्य प्रसंस्ककरण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(8) निदेशक, खाद्य प्रसंस्कररण विभाग द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्क रण विभाग का होगा।
(10) स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नही रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।
(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
(12) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमो तथा समय-समय पर तद्संबंधी शासनादेशो तथा नियमों के अनुसार ही किया जायें।
(13) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निदेशक/वित्तर नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्किरण विभाग के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का व्यरय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
(14) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्तग नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करसण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
(15) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
(18) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मंदों में न किया जाय ।
(19) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,35,24,000 ( रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख चौबीस हजार मात्र को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 4415808000403 सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,49,85,000 (रुपये एक करोड़ उनचास लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 4415808000403 सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( रजनी कान्त पाण्डेय )
संयुक्त सचिव।

**संख्या-03/2026/204(1)/58-2-2026, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) संबंधित मुख्य/वरिष्ठी कोषाधिकारी।

(4) जिलाधिकारी, सहारनपुर।

(5) वित्ति (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्ति (आय-व्येयक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3।

(6) निदेशक एवं मुख्य् अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रंण विभाग, उ0प्र0।

(7) निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

( रजनी कान्त पाण्डेय )
संयुक्त् सचिव।

http://shasanadesh